(भारत के राजपत्र असाधारण, (भाग–I, खण्ड I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 21/2024
नई दिल्ली, दिनांकः 30 अगस्त, 2024

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिषिष्ट 2ड.से उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी को सूची से हटाने के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेषक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट 2ड. से निम्नलिखित एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सूची से हटाते है, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 11/2015–2020 दिनांक 01.07.2021 द्वारा पहले सूचीबद्ध किया गया थाः

मैसर्स ओरिएन्टल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
प्लॉट सं. 11 कोटक महिन्द्रा बैंक के ऊपर, इंदिरा नगर
मंडीदीप–462042, जिला–रायसेन, मध्य प्रदेष
दूरभाष सं. 9827622438, 9893981916
ई–मेलः occimdp@gmail.com

2. तदनुसार, उपर्युक्त एजेंसी का नाम विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी की सूची] के क्रम सं. 07 (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ) से हटाया गया है और साथ ही डीजीएफटी के सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म से डी–बोर्ड किया जा रहा है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

मैसर्स ओरिएन्टल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री को उद्गम प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2ड. से हटाया गया है। अब से उपर्युक्त चैम्बर/एजेंसी उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत नही होगी।

संतोष कुमार सारंगी
30.8.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/89/180/24/एएम–24/पीसी–2 (क)/ई–40484 से जारी)